न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–290 / 2026
मोकामा थाना कांड संख्या–96 / 2026
अंतर्गत धारा–126(2), 127(2), 115(2). 117(2), 303(2), 109(1). 352, 351(2) बीएनएस

16.06.2026 याचिकाकर्ता 1. सतीश सिंह उर्फ सतीश प्रसाद सिंह की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दिनांक 24.03.2026 को दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। जोकि, अंतर्गत धारा–126(2), 127(2), 115(2). 117(2), 303(2), 109(1). 352, 351(2) बीएनएस से संबंधित मोकामा थाना कांड संख्या 96 / 2026, दिनांक 27.02.2026, के नामित अभियुक्त हैं तथा इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि, आवेदक की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदक के विरूद्ध पूर्व में जो अपराधिक मामले लंबित है, उसमें वे जमानत पर हैं। आवेदक निर्दोष हैं, इन्हें इस केस में गलत फंसाया गया है। प्राथमिकी में जैसी घटना बताई गई है, वैसी कोई घटना नहीं घटी है। सूचिका खुद ही एक अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके विरूद्ध कई अपराधिक मामले लंबित है, इसके द्वारा ग्रामीणों से पैसा उगाही के लिए कई केस किए गए हैं। इस वाद में आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि, आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, इस कांड की सूचक–दीपक कुमार हैं, उन्होंने अपने टंकित ब्यान में यह आरोप लगाया है कि, वह दिनांक–22.02.2026 को रात्रि करीब 08.00 बजे सुधा डेयरी, चिंतामणचक से दूध लेकर आ रहे थे, जब वह काली मंदिर, शाहबेगपुर पहुंचे तो पहले से घात लगाकर उनके गांव के बब्लू सिंह, सुधांशु रंजन उर्फ नीतीश कुमार, सतीश सिंह एवं चार अन्य अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनपर हमला किया गया। वे लोग उनके साथ गाली–गलौज करते हुए मार–पीट करने लगे तथा उनके पॉकेट से पांच हजार रूपया बब्लू सिंह निकाल लिए तथा दाहिने हाथ की अंगुली में छः आना भर का सोने का अंगूठी जिसकी कीमत साठ हजार रूपए थी, उसे सतीश सिंह ने छीन लिया तथा सतीश सिंह एवं सुधांशु रंजन उर्फ नीतीश कुमार गले में गमछा लगाकर उनकी गला दबाकर हत्या करने लगे। हल्ला पर उनके पिता एवं अन्य लोग उनकी जान बचाए। मार–पीट की वजह से उनकी दोनों आंखों की दृष्टि हल्की बाधित हो गई, बेहतर ईलाज के लिए उन्हें P.M.C.H, पटना रेफर कर दिया गया। उनलोगों के द्वारा यह धमकी दिया गया कि, केस करने पर पूरे परिवार को जिंदा जला देंगे। पूर्व में भी सूचक के द्वारा मोकामा थाना कांड संख्या– 79 / 2024 दर्ज कराया गया है, उसी

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–290 / 2026
मोकामा थाना कांड संख्या–96 / 2026
अंतर्गत धारा–126(2), 127(2), 115(2). 117(2), 303(2), 109(1). 352, 351(2) बीएनएस
लगातार

16.06.2026

को उठाने के लिए इनके द्वारा दबाव बाया जा रहा है।

कांड दैनिकी के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, कांड दैनिकी के कंडिका–7 में साक्षी–विनोद कुमार का ब्यान है, जिसमें उनका कहना है कि, आवेदक अन्य अभियुक्तों के साथ बैठा था। दीपक कुमार दूध लेकर जा रहे थे। दीपक कुमार काली स्थान के पास पहुंचा तो उसके साथ तेज आवाज में सभी लोग गाली–गलौज कर रहे थे, जब वह छुड़ाने गए तो उन्हें भगा दिया गया। जब, इसकी सूचना इन साक्षी के द्वारा उनके घर वाले को दिया गया। आवेदक के विरूद्ध एक मामला लंबित है, जोकि इसी सूचक के द्वारा किया गया है। कांड दैनिकी के साथ जख्म–प्रतिवेदन संलग्न है, जिसमें जख्म की प्रकृति साधारण बताई गई है। अन्य सह–अभियुक्तों को नियमित जमानत का लाभ दिया जा चुका है। स्वतंत्र साक्षी ने आवेदक के विरूद्ध लगाए गए आरोप कि, उनके द्वारा छः आने भर की सोने की अंगूठी छीन लिया गया, इन बातों का समर्थन नहीं किया है और किसी ने गला दबाने की भी बातों का समर्थन नहीं किया है, केवल तेज आवाज में गाली–गलौज करने की बात का समर्थन किए हैं।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा जख्म की प्रकृति को देखते हुए आवेदक अभियुक्त–1. सतीश सिंह उर्फ सतीश प्रसाद सिंह को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः, प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करते हुए आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर आवेदक के आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10,000 (दस हजार) रुपये के समतुल्य राशि के दो समान प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत धारा 482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शर्तों के अधीन याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत पर **मुक्त** करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़